# ग्राम पंचायत राजाखासा, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024

## भाग-एक

1. **प्रस्तावना**

**{क}** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत राजाखासा, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण हि.प्र राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे :-**

**प्रधान:-**

| क्रम संख्या | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1. | श्रीमती ज्योती देवी | 01-04-22 से 31-03-24 |

**सचिव :-**

| क्रम संख्या | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1. | श्री कुलभूषण कुमार | 01-04-22 से 31-03-24 |

**{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार:-**

ग्राम पंचायत राजाखासा के अवधि "01-04-2022 से 31-03-2024" के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

| क्रम संख्या | पैरा सं० | अनियमितता का संक्षिप्त सार | राशि {₹ लाखों में} |
|---|---|---|---|
| 1. | 5 | अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना | 11.86 |
| 2. | 6 | प्रियासॉफ्ट में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों में अंतर पाया जाना | 0.73 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | 7 | गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण, पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष पाया जाना | 0.56 |
| 4. | 8 | मानदेय के रूप में पंचायत सदस्यों को अधिक भुगतान करने बारे | 0.04 |
| 5. | 9 | खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से राजस्व हानि | 0.47 |

## भाग – दो

**2. वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत राजाखासा, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/2022 से 31/03 /2024" तक के लेखों का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 06-04-2024 से 16-04-2024 के दौरान पंचायत कार्यालय, राजाखासा में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:-

| वित्तीय वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|
| 2022-23 | 02/23 | 06/22 |
| 2023-24 | 12/23 | 03/24 |

**अस्वीकरण:-** वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

**3. अंकेक्षण शुल्क:-**

ग्राम पंचायत राजाखासा, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹4,800/-** बनता है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण

अधियाचना संख्या: 221(ग) दिनांक 16.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत राजाखासा से अनुरोध किया गया।

4. **वित्तीय स्थिति**:-

ग्राम पंचायत राजाखासा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

**{क} स्वः स्त्रोत:-** ग्राम पंचायत राजाखासा के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक स्वः स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 191135.50 | 69535.00 | 260670.5 | 74814.00 | 185856.50 |
| 2023-24 | 185856.50 | 8564.00 | 194420.5 | 44510.00 | 149910.5 |

**{ख} अनुदान:-** ग्राम पंचायत राजाखासा के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 2002410.50 | 5463103.00 | 7465513.50 | 5764398.00 | 1701115.50 |
| 2023-24 | 1701115.50 | 3723636.00 | 5424751.50 | 4238870.00 | 1185881.50 |

**{ग} दिनांक 31.03.24 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-**

| क्रम संख्या | शीर्ष | बैंक का नाम | खाता संख्या | राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | General | KCCB INDORA | 20076007226 | 149510.50 |
| 2. | 5TH FC | KCCB INDORA | 50055739159 | 56368.00 |
| 3. | SDP | KCCB INDORA | 50055739115 | 1089.00 |
| 4. | TSC | KCCB INDORA | 50055739091 | 12084.00 |
| 5. | VMJS | KCCB INDORA | 50055739126 | 4791.00 |
| 6. | MPLAD | KCCB INDORA | 50055739057 | 119.50 |
| 7. | VKVNY | KCCB INDORA | 50055739079 | 4318.00 |
| 8. | NRHM | KCCB INDORA | 50055739024 | 399.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9. | 15TH FC | CBI RAJA KHAS | 3839979444 | 1106713.00 |
| 7. | | | हस्तगत रोकड़ | 400.00 |
| | | | **कुल योग** | **1335792.00** |

## 4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

| | |
|---|---|
| दिनांक 31-03-24 को बैंक अनुसार अन्त शेष | **1335792.00** |
| दिनांक 31-03-24 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख) | **1335792.00** |
| **अंतर** | **0** |

## 4.2 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को तैयार न करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुये एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय-व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

## 4.3 लेखा खाता /खाताबही तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान

अकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस –किस कार्य हेतु कितनी – कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस – किस कार्य पर कितना – कितना व्यय हुआ है।

अत: वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

**5. अनुदान राशि ₹11.86 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है|

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **"परिशिष्ट-1"** के अनुसार दिनांक 31-03-24 तक अनुदान राशि ₹1185881.50 उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है|

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 221क(1) दिनांक 16.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत राजाखासा से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP-RAJ-07/2024 दिनांक 16.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: जिन अनुदानों की विहित अवधि समाप्ति हो चुकी है उनके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके, उक्त राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतू व्यय करना सुनिश्चित किया जाये|

**6. प्रियासॉफ्ट में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों में ₹0.73 लाख का अंतर पाया जाना :-**

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E- Panchayat Mission Project (MPP) प्रारम्भ की गई है जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि. प्र. कर रहा है | इस योजना के क्रियान्वयन के साथ – साथ हि. प्र. पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अंतर्गत e-panchayt में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है|

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण हस्तलिखित तथा प्रिया सॉफ्ट (computerised) दोनों माध्यम से किया जा रहा तथा जो लेखें Priya Soft में बनाये जा रहें है वे बैंक खातों/हस्तलिखित रोकड़ बही खातों से मेल नहीं खाते | परिणामस्वरूप परस्पर आंकड़ों में **₹73067.50** का अंतर पाया गया :-

**(क) चयनित माह के दौरान प्रियासॉफ्ट में दर्ज मासिक प्राप्ति /व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही के अनुसार मासिक प्राप्ति /व्यय में अंतर (except manrega + PMAGY + PMKSY)**

**(PMAGY + PMKSY Cash book is maintained in PFMS Software)**

| क्रम स. | माह | प्राप्ति | | | भुगतान | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रियासॉफ्ट के अनुसार | रोकड़ बही के अनुसार | अंतर | प्रियासॉफ्ट के अनुसार | रोकड़ बही के अनुसार | अंतर |
| 1 | 06/22 | 199029.00 | 196767.00 | 2262.00 | 691486.00 | 678586.00 | 12900.00 |
| 2 | 02/23 | 41485.00 | 48826.00 | 7341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 12/23 | 102000.00 | 102000.00 | 0.00 | 1384.00 | 88764.00 | 83780.00 |
| 4 | 03/24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239912.00 | 239971.00 | 59.00 |

**(ख) प्रियासॉफ्ट में दर्ज वार्षिक प्राप्ति /व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही के अनुसार वार्षिक प्राप्ति /व्यय में अंतर (except manrega + PMAGY + PMKSY)**

**(PMAGY + PMKSY Cash book is maintained in PFMS Software)**

| क्रम सं. | वर्ष | प्राप्ति | | | भुगतान | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रियासॉफ्ट के अनुसार | रोकड़ बही के अनुसार | अंतर | प्रियासॉफ्ट के अनुसार | रोकड़ बही के अनुसार | अंतर |
| 1 | 2022-23 | 2107327.00 | 2145264.00 | 37937.00 | 2464838.00 | 2451838.00 | 13000.00 |
| 2 | 2023-24 | 1009978.00 | 1060317.00 | 50339.00 | 1605438.00 | 1611497.00 | 6059.00 |

**(ग) प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए गए बैंक शेष तथा बैंक पास बुक शेष में अंतर पाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:- (Except MNREGA)**

| वर्ष | प्रियासॉफ्ट के अनुसार बैंक शेष | बैंक पासबुक के अनुसार शेष + (CASH IN HAND) | अंतर |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 1262124.50 + 600 (Cash in Hand) = 1262724.50 | **1335792.00** | **73067.50** |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 221क(3) दिनांक 16.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP-RAJ-07/2024 दिनांक 16.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**7. गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण ₹0.56 लाख का पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 34(2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्त्रोतों जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा-जोखा दिया है के लिए उधार दावा करते हुए, मासिक लेखे और विवरणी, अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन्हें प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात गृह कर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था। पंचायत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान BPL व PDS **परिवारों** से ₹25 व अन्य **परिवारों** से ₹100 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹56000 के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ख"** व नीचे तालिका में दिया गया है:-

**सम्पति कर:-**

| वर्ष | पंजीकृत BPL व PDS परिवारों की संख्या | दर | अन्य पंजीकृत परिवारों की संख्या | दर | आशेष . | मांग | योग | प्राप्ति | वसूली हेतु शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 176 | 25 | 463 | 100 | 0.00 | (4400 +46300) = 50700 | 50700 | 50700 | 0.00 |
| 2023-24 | 176 | 25 | 538 | 100 | 0.00 | (4400+53800) = 58200 | 58200 | 2200 | 56000 |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी। मांग व वसूली रजिस्टर का साधारण प्रारूप -10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का सही पता लगाया जा सके।

अत: गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण न करना तथा गृह कर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जो कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 221क(2) दिनांक 16.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP-RAJ-07/2024 दिनांक 16.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया राजस्व की शीघ्र नियमित वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 8. ₹3500/- का मानदेय के रूप में पंचायत सदस्यों को अधिक भुगतान करने बारे:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 62{2} के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जाएगा तथा यदि कोई सदस्य सभा में उपस्थित नहीं होता है तो इस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा।

अंकेक्षण अवधि के दौरान पांचवे वित्त आयोग की रोकड़ बही के वाउचर संख्या 17 दिनांक 24.02.2024 कि पंचायत द्वारा पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय का भुगतान 01.10.2023 से 30.12.2023 की अवधि के लिए किया गया था परन्तु इस भुगतान किये गये मानदेय की अवधि के दौरान माह 10/2023 में केवल एक ही ग्राम पंचायत की बैठक हुई थी जिसके फलस्वरूप पंचायत पदाधिकारियों को एक ग्राम पंचायत बैठक का मानदेय के रूप में अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

| क्रम संख्या | वार्ड पंच का नाम | पंचायत बैठकों की अवधि | भुगतान की गई राशि | पंचायत बैठकों की कुल संख्या | वास्तविक भुगतान योग्य राशि | अधिक भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्रीमती प्रिया | 01.10.2023 से 30.12.2023 | 3000 (6X500) | 5 | 2500 (5X500) | 500 |
| 2. | श्रीमती शशि बाला | 01.10.2023 से 30.12.2023 | 3000 (6X500) | 5 | 2500 (5X500) | 500 |
| 3. | श्रीमती आशा देवी | 01.10.2023 से 30.12.2023 | 3000 (6X500) | 5 | 2500 (5X500) | 500 |
| 4. | श्रीमती उषा देवी | 01.10.2023 से 30.12.2023 | 3000 (6X500) | 5 | 2500 (5X500) | 500 |
| 5. | श्री रमन कटोच | 01.10.2023 से 30.12.2023 | 3000 (6X500) | 5 | 2500 (5X500) | 500 |
| 6. | श्री उत्तम सिंह | 01.10.2023 से 30.12.2023 | 3000 (6X500) | 5 | 2500 (5X500) | 500 |
| 7. | श्री अमीर चंद | 01.10.2023 से 30.12.2023 | 3000 (6X500) | 5 | 2500 (5X500) | 500 |
| | | | | | **कुल योग** | **3500** |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 221क(4) दिनांक 16.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP-RAJ-07/2024 दिनांक 16.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**9. खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने के फलस्वरूप राशि ₹0.47 लाख के राजकीय राजस्व की सम्भावित हानि:-**

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू)

या स्प्लीमेंटरी पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षणावधि के दौरान रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को निम्न विवरणानुसार ₹**47338**/- का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है :-

| **नाम** | **मात्रा (cum)** | **फैक्टर** | **कुल मात्रा** | **दर (प्रति टन)** | **राशि** |
|---|---|---|---|---|---|
| रेत | 20 | 1.62 | 32.40 | 80 | 2592 |
| बजरी | 105 | 1.52 | 159.60 | 80 | 12768 |
| पत्थर | 51 | 2.24 | 114.2 | 80 | 9139 |
| रेत | 45 | 1.62 | 72.90 | 80 | 5832 |
| बजरी | 62 | 1.52 | 94.24 | 80 | 7539 |
| | | | | **कुल योग** | **37870** |
| | | | | पेनल्टी 25% | **9468** |
| | | | | **कुल योग** | **47338** |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 221ख(5) दिनांक 16.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP-RAJ-07/2024 दिनांक 09.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण रॉयल्टी की गणना नहीं की जा सकी। प्रस्तुत उतर तथ्यों पर आधारित न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः ₹47338/- के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस मामले को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries,102- Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिए जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित करें।

**10 निर्माण कार्य रिपेयर कुआँ परमोद धीमान पुत्र श्री कर्ण चंद जमीन के लिए ₹380/- का अधिक भुगतान बारे :-**

निर्माण कार्य रिपेयर कुआँ परमोद धीमान पुत्र श्री कर्ण चंद जमीन की जांच के दौरान पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 13159, पृष्ठ संख्या 20-21, में निर्माण सामग्री (Bricks) का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिए निर्माण सामग्री (Bricks) का क्रय अधिक किया गया था जबकि बची हुई सामग्री को भी स्टॉक रजिस्टर में वापिस नहीं लिया गया था, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

| क्रम संख्या | सामग्री का नाम | क्रय की गई सामग्री की मात्रा | निर्माण कार्य पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा | अंतर | दर | राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Bricks) | 670 Nos. | 618 Nos. | 52 Nos. | 7.32 | 380.64 |
| | | | | | **कुल योग** | **380.64** |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 221ख(8) दिनांक 16.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP-RAJ-07/2024 दिनांक 16.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: उक्त कार्य हेतु क्रय निर्माण समाग्री की अपेक्षा कम सामान के प्रयोग/लेखांकन के फलस्वरूप अधिक भुगतान/अनियमित व्यय को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित व्यय जैसे ढुलाई आदि सहित उचित स्त्रोत से करके वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

**11. बिल/ वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना:-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संख्यापरीक्षा, संख्याकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 के दौरान बिलों का भुगतान हेतू उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है।

| क्र° स° | वर्ष | चयनित माह | चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | 2022-23 | 06/22 | 1130106.00 |
| 2. | 2023-24 | 03/24 | 738620.00 |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 221ख(6) दिनांक 16.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP-RAJ-07/2024 दिनांक 16.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

**12. बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार "पंचायत के सचिव प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित करेगा" ।

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 06/22 व 03/24 के दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि माह 06/22 व 03/24 के दौरान व्यय की गई राशि से सम्बन्धित बिल/ वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं थे जो कि उपरोक्त नियमों के विपरीत है |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 221ख(7) दिनांक 16.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP-RAJ-07/2024 दिनांक 16.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

## 13. माप पुस्तिकाओं का सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों से नमूना जाँच व सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 104 (i) व (ii) के अनुसार ग्राम पंचायत अपने स्तर पर निष्पादित किये जाने वाले संकर्मो की दशा में, तकनीकी सहायक द्वारा निर्माण पर्यवेक्षण अनिवार्य होगा तथा सम्बन्ध कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा, तकनीकी सहायक के तीन लाख रूपये तक की लागत के पैमाइश किये गये संकर्मो के दस प्रतिशत पर परीक्षण जांच संचालित करना अपेक्षित है तथा नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान नमूना जाँच में पाया गया कि उपरोक्त नियम की अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसमें से कुछ प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

| क्रम संख्या | निर्माण कार्य का नाम | शीर्ष | स्वीकृत राशि | माप पुस्तिका व पेज संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | निर्माण जीप रोड योग्य सड़क सुरेंदर कुमार पुत्र श्री बाबू राम के घर तक वार्ड न० 2 | 15th FC | 75000 | 12682/67-68 |
| 2. | निर्माण कार्य रिपेयर कुआँ परमोद धीमान पुत्र श्री कर्ण चंद जमीन | 15TH FC | 40000 | 13159/20-21 |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 221ख(7) दिनांक 16.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP-RAJ-07/2024 दिनांक 16.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

**14. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना:-**

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है |

| क्र. स. | रजिस्टर/अभिलेख | फॉर्म संख्या | सन्दर्भित नियम |
|---|---|---|---|
| 1 | निवेश रजिस्टर | 1 | 12 |
| 2 | मासिक बैंक समाधान विवरणी | --- | 15(1) |
| 3 | अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर | 9 | 30 |
| 4 | रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर | --- | 31 |
| 5 | मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर | 10 | 33 व 77(14) |
| 6 | सहायक अनुदान रजिस्टर, हि. प्र. पंचायती राज सामान्य नियम 1997 | 8 | 34 |
| 7 | बिल रजिस्टर | 13 | 48 |
| 8 | डाक टिकट रजिस्टर | 24 | 61 (2) |
| 9 | स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण न करना | 25 व 26 | 72(1) (ए,बी) |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 221ख(9) दिनांक 16.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP-RAJ-07/2024 दिनांक 16.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा |

अत: वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें |

**18. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-**

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया।

**19. लघु-आपति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई हैं।

**20. निष्कर्ष:-** लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का० / पृ० 02 JUL 2024

3075 – 3079

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)408 / 2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत राजाखासा, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

02 JUL 2024

का० / पृ०

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT RAJA KHAS BLOCK INDORA DISTRICT INDORA PINCODE 176402

| YEAR | Opening Balances | Reciepts | Total | Expenditure | Closing Balances |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 191135.50 | 69535.00 | 260670.5 | 74814.00 | 185856.50 |

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK 191135.50

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT RAJA KHAS BLOCK INDORA DISTRICT KANGRA PINCODE 176402

| YEAR | Opening Balances | Reciepts | Total | Expenditure | Closing Balances |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 185856.50 | 8564.00 | 194420.5 | 44510.00 | 149910.5 |

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK 185856.50

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत राजाखास
वि०ख० इन्दौरा (कांगड़ा) हि.प्र

J.A

परिशिष्ट -1 पैरा 5 के संदर्भ में

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP RAJA KHAS BLOCK INDORA FOR THE YEAR 2022-23

| S.NO. | Head | Opening Balances | Reciepts | Total | Expenditure | Closing Balances |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14TH FC | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | MGNREGA | 0 | 2077944.00 | 2077944.00 | 2077944.00 | 0.00 |
| 3 | PMKSY | 0 | 350112.00 | 350112.00 | 350112.00 | 0.00 |
| 4 | 5TH FC | 53714.00 | 239755.00 | 293469.00 | 227850 | 65619.00 |
| 5 | NRHM | 375.00 | 12.00 | 387.00 | 0.00 | 387.00 |
| 6 | MPLAD | 111.50 | 4.00 | 115.50 | 0.00 | 115.50 |
| 7 | VMJS | 4521.00 | 130.00 | 4651.00 | 0.00 | 4651.00 |
| 8 | VKVNY | 4073.00 | 117.00 | 4190.00 | 0 | 4190.00 |
| 9 | SDRF | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | IWDP | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | TSC | 11402.00 | 325.00 | 11727.00 | 0.00 | 11727.00 |
| 12 | PMAGY | 0 | 959318.00 | 959318.00 | 959318.00 | 0.00 |
| 13 | RGSA | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | SDP | 1029.00 | 349915.00 | 350944.00 | 349887.00 | 1057.00 |
| 15 | MMGPY | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 15TH FC | 1927185.00 | 1485471.00 | 3412656.00 | 1799287.00 | 1613369.00 |
| | **TOTAL** | **2002410.50** | **5463103.00** | **7465513.50** | **5764398.00** | **1701115.50** |

FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GP ~~RAJITAL~~ Raja Khas BLOCK INDORA FOR THE YEAR 2023-24

| S.NO. | Head | Opening Balances | Reciepts | Total | Expenditure | Closing Balances |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14TH FC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | MGNREGA | 0.00 | 996388.00 | 996388.00 | 996388.00 | 0.00 |
| 3 | PMKSY | 0.00 | 952761.00 | 952761.00 | 952761.00 | 0.00 |
| 4 | 5TH FC | 65619.00 | 331854 | 397473.00 | 341105 | 56368.00 |
| 5 | NRHM | 387.00 | 12.00 | 399.00 | 0.00 | 399.00 |
| 6 | MPLAD | 115.50 | 4 | 119.50 | 0 | 119.50 |
| 7 | VMJS | 4651.00 | 140.00 | 4791.00 | 0.00 | 4791.00 |
| 8 | VKVNY | 4190.00 | 128 | 4318.00 | 0 | 4318.00 |
| 9 | SDRF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | IWDP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | TSC | 11727.00 | 357.00 | 12084.00 | 0.00 | 12084.00 |
| 12 | PMAGY | 0.00 | 722734.00 | 722734.00 | 722734.00 | 0.00 |
| 13 | RGSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | SDP | 1057.00 | 32.00 | 1089.00 | 0.00 | 1089.00 |
| 15 | MMGPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 15TH FC | 1613369.00 | 719226.00 | 2332595.00 | 1225882.00 | 1106713.00 |
| | **TOTAL** | **1701115.50** | **3723636.00** | **5424751.50** | **4238870.00** | **1185881.50** |

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF GRANT IN AID AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK 1701115.50

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत राजाखास
वि०ख० इन्दौरा (कांगड़ा) हि.प्र

S.A